रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-18062022-236693
CG-DL-W-18062022-236693

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 14] नई दिल्ली, जून 12— जून 18, 2022, शनिवार/ ज्येष्ठ 22— ज्येष्ठ 28, 1944
No. 14] NEW DELHI, JUNE 12—JUNE 18, 2022, SATURDAY/JYAISTHA 22–JYAISTHA 28, 1944

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

(रक्षा उत्पादन विभाग)

गुणवत्ता आश्वासन निदेशालय (नौ सेना)

नई दिल्ली, 30 मई, 2022

का.नि.आ. 36.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, क्वालिटी आश्वासन निदेशालय (नौ सेना), लिपिकीय (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2011 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, क्वालिटी आश्वासन निदेशालय (नौ सेना) में उच्च श्रेणी लिपिक और अवर श्रेणी लिपिक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, क्वालिटी आश्वासन निदेशालय (नौ सेना), उच्च श्रेणी लिपिक और अवर श्रेणी लिपिक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2022 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **लागू होना.**—ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—**उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उक्त उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.—**उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता .—**वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है ; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह उस व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. **व्यावृति.—** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पदों का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. उच्च श्रेणी लिपिक	17*(2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 4 (25500 – 81100 रु.)	अचयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति,** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स के स्तर–2 (19900-63200 रु.) में ऐसे अवर श्रेणी लिपिक जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो । **टिप्पण 1:** टंकण परीक्षा उत्तीर्ण किए बिना नियुक्त अवर श्रेणी लिपिक टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने या उक्त टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने से सक्षम प्राधिकारी द्वारा छूट दिए जाने के पश्चात् ही उच्च श्रेणी लिपिक की श्रेणी पर प्रोन्नति के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा विचार किया जाएगा। **टिप्पण 2:** जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे के अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसे अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।	**समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:—** 1. उप महानिदेशक या निदेशक, गुणवत्ता आश्वासन निदेशालय (नौसेना) -अध्यक्ष 2. संयुक्त निदेशक (कार्मिक), गुणवत्ता आश्वासन निदेशालय (नौसेना) -सदस्य 3. उप निदेशक (कार्मिक), गुणवत्ता आश्वासन निदेशालय (नौसेना) -सदस्य 4. उपनिदेशक, गुणवत्ता आश्वासन निदेशालय (युद्धपोत परियोजना) -सदस्य	लागू नहीं होता ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. अवर श्रेणी लिपिक	23*(2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 2 (19900 -63200 रु.)।	अचयन।	आयु 18 और 27 वर्ष के बीच। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए, साधारण अभ्यर्थियों की दशा में

	जा सकता है।				शिथिल करके, चालीस वर्ष तक और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की दशा में, शिथिल करके, पैंतालीस वर्ष तक की जा सकती है। **टिप्पण 1**. सरकारी सेवकों के लिए आयु में छूट वहाँ अनुज्ञेय होगा जहाँ केंद्रीय सरकार के अधीन कोई कर्मचारी तीन वर्ष से अन्यून नियमित सेवा में हो। **टिप्पण 2**. आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी, न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड और लद्दाख, अंदमान और निकोबार द्वीप और लक्षदीप संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विहित की गयी है। **टिप्पण 3**. ऐसे पदों की बाबत जिन पर नियुक्ति रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाती है, प्रत्येक दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

(7)	(8)	(9)	(10)
(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण; और (ii) अंग्रेजी टंकण (कम्प्यूटर पर) में कम से कम पैंतीस शब्द प्रति मिनट की गति या हिंदी टंकण (कम्प्यूटर पर) में कम से कम तीस शब्द प्रति मिनट की गति ।	हाँ स्तंभ (11) में उपदर्शित सीमा तक ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। **टिप्पण** : केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाविहित परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए कम से कम दो सप्ताह की अवधि का अनिवार्य प्रेरक प्रशिक्षण होगा।	(i) 90 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा। (ii) 10 प्रतिशत सीमित विभागीय परीक्षा के माध्यम से प्रोन्नति द्वारा।

परंतु यह कि, – (क) टंकण में उक्त अर्हता नहीं रखने वाला व्यक्ति भी इस शर्त के अधीन रहते हुए नियुक्त किया जा सकता है या की जा सकती है कि वह वेतनमान में वेतनवृद्धि या स्थायीता होने के लिए या उस श्रेणी में बनें रहने का तब तक पात्र नहीं होगा / होगी जब तक कि वह अंग्रेजी टंकण में 35 शब्द प्रति मिनट या हिन्दी टंकण में 30 शब्द प्रति मिनट की गति प्राप्त नहीं कर लेता/ लेती, जब तक कि टंकण परीक्षा से छूट प्राप्त नहीं होता; (ख) शारीरिक रूप से नि:शक्त व्यक्ति जो लिपिकीय पद धारण करने के लिए अन्यथा सुअर्हित है किंतु टंकण में उक्त अर्हता नहीं रखता है इस शर्त के अधीन रहते हुए नियुक्त किया जा सकेगा कि नि:शक्त व्यक्तियों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय से सम्बद्ध चिकित्सा बोर्ड या जहाँ ऐसा बोर्ड नहीं है वहाँ सिविल सर्जन यह प्रमाणित करता है कि उक्त नि:शक्त व्यक्ति टंकण करने की उपयुक्त दशा में नहीं है। **वाँछनीय:** कम्प्यूटर का आधारिक ज्ञान।			

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: गुणवत्ता आश्वासन निदेशालय (नौसेना) के वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 1 (18000 – 56900 रु.) में और नियुक्ति स्थापना काडर में ऐसे समूह 'ग' कर्मचारियों में से सीमित विभागीय परीक्षा के माध्यम से प्रोन्नति द्वारा जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी : **टिप्पण 1:** सीमित विभागीय परीक्षा में बैठने के लिए अर्हक सेवा, वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 1 (18000 – 56900 रु.) में	**समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :—** 1. उप महानिदेशक या निदेशक, गुणवत्ता आश्वासन निदेशालय (नौसेना) -अध्यक्ष 2. संयुक्त निदेशक (कार्मिक), गुणवत्ता आश्वासन निदेशालय (नौसेना) -सदस्य 3. उप निदेशक (कार्मिक) गुणवत्ता आश्वासन निदेशालय (नौसेना) -सदस्य 4. उप निदेशक, गुणवत्ता आश्वासन निदेशालय (युद्धपोत परियोजना) -सदस्य	लागू नहीं होता।

समूह 'ग' में तीन वर्ष की नियमित सेवा होगी। **टिप्पण 2** : सीमित विभागीय परीक्षा में उपसंजात के लिए शैक्षिक अर्हता वही होगी जो स्तंभ (7) में है या अवर श्रेणी लिपिक की श्रेणी में सीधी भर्ती के लिए अधिकथित है। **टिप्पण 3:** यदि उक्त परीक्षा पर अर्हित होने वाले, खंड (ii) के अधीन उपलब्ध रिक्तियों की संख्या से अधिक हैं तो कर्मचारियों की ऐसी अधिक संख्या को पश्चात्वर्ती वर्ष में आने वाली रिक्तियों को भरने के लिए विचार किया जाएगा जिससे कि किसी पूर्वतर परीक्षा पर अर्हक कर्मचारियों पर पहले विचार किया जाएँ जो पश्चात्वर्ती परीक्षा पर अर्हित हुए हैं। **टिप्पण 4:** जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध मे जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध मे भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब तक जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।	**समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:—** 1. उप महानिदेशक या निदेशक, गुणवत्ता आश्वासन निदेशालय (नौसेना) -अध्यक्ष 2. संयुक्त निदेशक (कार्मिक), गुणवत्ता आश्वासन निदेशालय (नौसेना) -सदस्य 3. उपनिदेशक (कार्मिक), गुणवत्ता आश्वासन निदेशालय (नौसेना) -सदस्य 4. उप निदेशक, गुणवत्ता आश्वासन निदेशालय (युद्धपोत परियोजना) -सदस्य	

[फा. सं. 2403/ आर आर/लिपिकीय/ गु. आ. नि. (नौसेना)/कार्मिक/319/डी(क्यू ए)/2022]

सोमा सान्याल, अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

(Department of Defence Production)
DIRECTORATE OF QUALITY ASSURANCE (NAVAL)

New Delhi, the 30th May, 2022

S.R.O. 36.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate of Quality Assurance (Naval), Clerical (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2011, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Upper Division Clerk and Lower Division Clerk, in the Department of Defence Production, Directorate of Quality Assurance (Naval), Ministry of Defence, namely:—

1. **Short title and commencement.—**(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate of Quality Assurance(Naval), Upper Division Clerk and Lower Division Clerk (Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.—**These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and level in pay matrix.—**The number of the said posts, their classifications and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.—**The method of recruitment, age- limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Disqualification.**—No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.-**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit, and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of posts	Number of posts	Classification	Level in pay matrix
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Upper Division Clerk.	17* (2022) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial.	Level-4 in the pay matrix (Rs.25500-81100).

Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Non-selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.
(10)	(11)
By promotion	**Promotion:** From Lower Division Clerk in level-2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200) with eight years regular service in the grade. **Note 1:** Lower Division Clerk appointed without having passed the typing test will be considered by the Departmental Promotion Committee for promotion to the grade of Upper Division Clerk only after he passes the typing test or granted exemption by the competent authority from passing the said typing test and any such promotion will have prospective effect. **Note 2:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade, alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:— 1. Deputy Director General or Director, Directorate of Quality Assurance (Naval) – Chairman 2. Joint Director (Personnel), Directorate of Quality Assurance (Naval) – Member 3. Deputy Director (Personnel), Directorate of Quality Assurance (Naval) – Member 4. Deputy Director, Directorate of Quality Assurance (Warship Project) – Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Lower Division Clerk	23* (2022) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial.	Level-2 in the pay matrix (Rs.19900-63200).	Non-selection

(6)	(7)
Between 18 and 27 years of age. (Relaxable for departmental candidates upto the age of forty years in case of general candidates and upto the age of forty-five years in case of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note 1:** The age relaxation for the government servants will be admissible where an employee has rendered not less than three years regular service under the Central Government. **Note 2:** The crucial date for determining age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidate and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep. **Note 3:** In respect of posts, the appointment to which are made through the employment exchanges the crucial date for determining the age-limit shall, in each case, be the last date upto which the employment exchanges are asked to submit the names.	(i) 12th class pass from a recognised Board; and (ii) minimum typing speed of thirty-five words per minute in English or thirty words per minute in Hindi (on computer). **Provided that,—** (a) a person not possessing the said qualification in typewriting may be appointed subject to the condition that he or she will not be eligible for drawing increments in the pay scale or for quasi permanency or for continuation in the grade till he or she acquires a speed of 35 words per minute in English typewriting or 30 words per minute in Hindi typewriting, unless otherwise exempted from typewriting test; (b) a physically handicapped person who is otherwise qualified to hold a clerical post but does not possess the said qualification in typewriting may be appointed subject to the condition that the Medical Board attached to the Special Employment Exchange for handicapped or where there is no such Board, the Civil Surgeon certifies that the said handicapped person is not in a fit condition to type. **Desirable:** Basic knowledge in computers.

(8)	(9)	(10)	(11)
Yes, to the extent indicated in column (11).	Two years for direct recruitment. **Note**: There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	(i) 90 percent, by direct recruitment. (ii) 10 percent, by promotion through Limited Departmental Examination.	**Promotion:** By promotion through limited Departmental examination form amongst Group 'C' employees in level-1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900) and borne on the regular establishment of Directorate of Quality Assurance(Naval) subject to the following conditions:— **Note 1:** The qualifying service for appearing in limited Departmental examination will be three years regular service in Group 'C' in the level-1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900). **Note 2:** The educational qualification for appearing in the limited Departmental examination shall be the same as laid down in column (7) or direct recruitment

			in the grade of Lower Division Clerk. **Note 3:** If more of such employees than the number of vacancies available under clause (ii) qualify at the said examination, such excess number of employees shall be considered for filling the vacancies arising in the subsequent years so that the employees qualifying at an earlier examination are considered before those qualify at a later examination. **Note 4:** Where juniors, who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors, who have already completed such qualifying or eligibility service.

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:— 1. Deputy Director General or Director, Directorate of Quality Assurance (Naval) – Chairman 2. Joint Director (Pers), Directorate of Quality Assurance (Naval) – Member 3. Deputy Director (Pers), Directorate of Quality Assurance (Naval) – Member 4. Deputy Director, Directorate of Quality Assurance (Warship Project) – Member. **Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:—** 1. Deputy Director General or Director, Directorate of Quality Assurance (Naval) – Chairman 2. Joint Director (Pers), Directorate of Quality Assurance (Naval) – Member 3. Deputy Director (Pers), Directorate of Quality Assurance (Naval) – Member 4. Deputy Director, Directorate of Quality Assurance (Warship Project) – Member.	Not applicable.

[F. No. 2403/RR/Clerks/DQAN/Pers/319/D(QA)/2022]

SOMA SANYAL, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.06.18 11:04:14 +05'30'